न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा
नारायण बनाम मेसर्स जे0के0सीमेन्ट
GCMS No- 2024/41
प्रकरण संख्या 26/2024 अपील

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडाजिला चित्तौड़गढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी :–विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या–26/2024अपील

GCMS No. -2024/41

1. नारायण पुत्र गमेरा जी जाति डांगी निवासी पिपलीया गदीया तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़।

–अपीलान्ट

बनाम

1. मेसर्स जे0के0 सीमेन्ट वर्क्स प्रोप्राईटर जे0के0 सीमेन्ट लिमीटेड, कमला टावर कानपुर PAN&AABCJ0355R जरिये पॉवर ऑफ एटार्नी होल्डर श्री बसन्त गुप्ता पुत्र श्री राम किशोर गुप्ता उम्र 57 वर्ष कर्मशियल हेड जे0के0 सिमेन्ट वर्क्स, निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 मो0नंम्बर 9987061865
2. श्रीमान तहसीलदार साहब निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
3. ग्राम पंचायत कारुण्डा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत कारुण्डा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0

रेस्पांडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956

अपील विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 57 ग्राम पंचायत कारूण्डा
निर्णय दिनांक 05.08.2021

उपस्थित :– 1–श्री ऋषभ कुमार [illegible] अपीलान्ट
2–श्री सुरेन्द्र कुमार ओझा– रेस्पांडेन्ट नम्बर 1 स्वयं उपस्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:38:22 IST
Reason: SelfAttested

:: निर्णय :: दिनांक :–31.07.2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की प्रस्तुत कर निवेदन किया की ग्राम पिपलीया गदिया पटवार हल्का कारूण्डा के आराजी नम्बर 265 रकबा 1.6600, आराजी नम्बर 266 रकबा 0.7700 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 274 रकबा 0.6100, आराजी नम्बर 275 रकबा 0.4000 कुल किता 4 कुल रकबा 3.4400 हैक्टेयर। अपीलांट ने

Scanned by CamScanner

आराजी बेची। अपीलांट द्वारा रेस्पांडेन्ट को अपने उक्त चारो आराजी मे से मात्र 1.5200 हेक्टेयर जमीन बेची गई थी।

2. रेस्पांडेन्ट नंम्बर 2 व 3 ने लापरवाही से पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामांन्तरणकरण खोला उसमे विक्रीत भूमि ही रेस्पांडेन्ट नं० 1 के नाम पर नामान्तरित करने के बजाए अपीलांट के खातेदारी की उपरोक्त वर्णित आराजीयात का सम्पूर्ण रकबा रेस्पांडेन्ट नं० 1 के नाम पर नामांन्तरित कर दिया, जो विधि विरुद्ध रुप से नामान्तरीत किया। अपीलांट ने मात्र 1.5200 हेक्टेयर जमीन बेची थी, परन्तु उसके खातेदारी की सम्पूर्ण आराजी रेस्पांडेन्ट नंम्बर 2 व 3 ने रेस्पांडेन्ट नं० 1 के नाम पर कर दी अर्थात 1.9200 हेक्टेयर आराजी अधिक नामान्तरित कर दी, इसलिए अपीलांट उक्त नामान्तरणकरण को निरस्त कराने का अधिकारी हैं।

3. अपीलांट को उक्त नामान्तरणकरण के इन्द्राज की जानकारी दिनांक 12/01/2024 को जमाबंदी की नकल लेने से हुई कि उसके खातेदारी की आराजी नंम्बर 265, 266, 274 व 275 का शेष आराजी उसके खाता जमाबन्दी में दर्ज नही हैं, तथा रेस्पांडेन्ट नं० 1 के नाम पर उसके नाम पर जमाबंदी में दर्ज हो गई हैं।

4. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोन्डेन्टस् को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोन्डेन्ट नम्बर 3 उपस्थित नहीं रहने से एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गये। रेस्पोन्डेन्ट नम्बर 1 की और से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार ओझा ने वकालतनामा मय जवाब पेश कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट को नामान्तरण की जानकारी 12.01.2023 को हुई। दिनांक 12.01.2023 को जानकारी होने का तथ्य सही लिखा है लेकिन दिनांक 12.01.2023 से लगाकर अपील पेश करने तक की अवधि के बाबत इस प्रार्थना पत्र में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए अपील पेश करने में जो देरी हुई है वह क्षम्य किये जाने योग्य नहीं है। साथ ही प्रार्थी का प्रार्थना पत्र कंडोन नहीं किया जाकर खारिज किए जाने का निवेदन किया।

5. बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया गया। अपीलान्ट ने दस्तावेजी साक्ष्या में ग्राम पिपलिया गदिया के नामान्तरकरण संख्या 57 दिनांक 24.07.2021 की प्रति, जमाबन्दी सम्वत 2077–80 की प्रति पेशकि तथा विक्रय पत्र की प्रति प्रस्तुत की । आराजी नम्बर 265 रकबा 1.66 हैक्टेयर में से 0.37 हैक्टेयर भूमि, आराजी नम्बर आराजी नम्बर 266 रकबा 0.7700 हैक्टेयर में से 0.64 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 274 रकबा 0.6100 में से 0.35 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 275 रकबा 0.4000 में से 0.16 हैक्टेयरकुल 1.52 हैक्टेयर भूमि ही विक्रय की जबकि नामान्तरण में 1.52 हैक्टेयर के बजाए 3.44 का स्वीकृत किया गया जिसे [illegible] कर 1.52 हैक्टेयर का नामान्तरण किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:38:22 IST
Reason: SelfAttested

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस को [illegible] गया। बहस में प्रकट तथ्यों एवं अपील मैमों में वर्णित आधारों, पत्रावली पर उप[illegible] दजस्तावेजों के आवेदन पत्र तहत् दफा 5 कानून मियाद का पृथक से अपील के साथ पेश है। अतः निर्धारित अवधि में अपील प्रस्तुत नहीं किये जा सकने का अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत कारण स्वीकार योग्य है। अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

अपीलान्ट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट की अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम ग्राम पिपलिया गदिया पटवार हल्का कारूण्डा के नामान्तरकरण संख्या 57 दिनांक 24.07.2021 को निरस्त कर आराजी नम्बर 265 रकबा 1.66 हैक्टेयर में से 0.37 हैक्टेयर भूमि, आराजी नम्बर आराजी नम्बर 266 रकबा 0.7700 हैक्टेयर में से 0.64 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 274 रकबा 0.6100 में से 0.35 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 275 रकबा 0.4000 में से 0.16 हैक्टेयर कुल 1.52 हैक्टेयर भूमि का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 तथा शेष रकबा 1.92 हैक्टेयर का नामान्तरण अपीलान्ट के नाम दर्ज रेकार्ड कर अमल दरामद किया जावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

8. निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेडा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:38:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner